न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी), आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सालुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिवन, तलहटी आबूरोड़, जरिये उसके वर्तमान अधिकृत हस्ताक्षरी बी.के. आत्मप्रकाश मेहता पुत्र पियारारपाम मेहता, जाति हिन्दू, निवासी शांतिवन दानवाव, तहसील आबूरोड़। (प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह देवड़ा)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 06/2024

दिनांक 18.09.2024

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, तहसील देलदर में प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की खसरा संख्या 981/4 कुल क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टेयर अर्थात 07 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी को जरिये पंजीकृत बक्षीसनामे दिनांक 01.11.1999 के द्वारा प्राप्त हुई थी। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के सही एवं वास्तविक खसरा संख्या 981/4 के स्थान पर राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहवन से भूलवश खसरा संख्या 981/2 गलत रूप से दर्ज कर दी गई है, जबकि वास्तविक खसरा संख्या 981/4 दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थी वर्णित भूमि पर काबिज है । यह कि प्रार्थी को अपने–अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने हेतु रकम की आवश्यकता थी, जिस वजह से प्रार्थी ने अपने खाते से संबंधित जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पटवारी महोदय ने प्रार्थी को बताया कि उक्त भूमि की जमाबंदी के राजस्व रेकर्ड के खसरा नक्शे में सही एवं वास्तविक खसरा संख्या 981/4 के स्थान पर खसरा संख्या 981/2 गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है, जो आपस में विरोधाभाषी है। यह कि प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज खसरा संख्या 981/2 के स्थान पर सही एवं वास्तविक खसरा संख्या 981/4 दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अतः रेकर्ड शुद्धिकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया। स्टेट से प्राप्त रिपोर्ट में अंकन है मौजा आमथला के खाता संख्या 399 खसरा संख्या 981/4 किस्म आबादी हिमकान्ति पुत्र जसवंत राज मदान जाति मिश्रा के नाम दर्ज रेकर्ड है। जरिये बक्षीशनाम के उक्त भूमि प्रजापिता बह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पाण्डव भवन आबूपर्वत के नाम दर्ज हुई है। चूंकि भूमि किस्म आबादी होने से जमाबंदी में अमल नहीं हुआ । [illegible] लट्ठे में खसरा नंबर 981 के समस्त विभाजित खसरो की तरमीम स्पष्ट रूप [illegible] देखा नहीं देने खसरा अंकन किया जाना संभव नही है। यह सत्य है कि प्रार्थी [illegible] खरीदी [illegible] तरमीम मौका अनुसार गलत है।

सरकार पैरोकार द्वारा लिखित बहस पेश कर [illegible] किया गया कि प्रश्नगत भूमि आवासीय रूपान्तरित है जिसका रूपान्तरण आदेश पत्रावली में प्रस्तुत है परन्तु रूपान्तरण

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.19 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश के साथ लगाया राजस्व नक्शा जिसमें विवादित भूमि दर्शायी गयी है वह पेश नही है जिसके अभाव में प्रश्नगत भूमि का सही चिन्हीकरण नही किया जा सकता है। यह कि तहसीलदार देलदर द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा कमांक/कोर्ट/2024/385 दिनांक 18.07.2024 में बताया है कि मौजा आमथला के खाता संख्या 399 खसरा संख्या 981/4 किस्म आबादी हिमकान्ति पुत्र जसवंत राज मदान जाति मिश्रा के नाम दर्ज रेकर्ड है। जरिये बक्षीशनाम के उक्त भूमि प्रजापिता बह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पाण्डव भवन आबूपर्वत के नाम दर्ज हुई है। चूंकि भूमि किस्म आबादी होने से जमाबंदी में अमल दरामद नही हुई है। तहसीलदार देलदर के अपने जवाब में यही भी लिखा है कि राजस्व नक्शे में लट्ठे में खसरा नंबर 981 के समस्त विभाजित खसरों की तरमीम स्पष्ट रूप से दिखाई नही देने से खसरा अंकन किया जाना संभव नही है एवं यह सही है कि प्रार्थी द्वारा बक्शीश से प्राप्त हुई भूमि की तरमीम मौका अनुसार गलत है। यह कि वादी द्वारा खसरा नंबर 981/4 की तरमीम खसरा नंबर 981/2 के स्थान पर व खसरा नंबर 981/2 की तरमीम 981/4 के स्थान पर करने का न्यायालय से आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है जबकि प्रभावित खसरा नंबर 981/2 के खातेदार को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है अतः वादी द्वारा ऐसा न करके नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन नही किया गया है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व जवाब सरकार का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रार्थी साबित कर पाये कि खसरा संख्या 981/4 के स्थान पर खसरा संख्या 981/2 गलत रूप से दर्ज किया गया है , प्रार्थी ने न ही रूपान्तरण आदेश के साथ प्रस्तावित भूमि का नक्शा पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है , स्टेट के जवाब में अंकन है कि राजस्व नक्शे में लट्ठे में खसरा नंबर 981 के समस्त विभाजित खसरों की तरमीम स्पष्ट रूप से दिखाई नही देने से खसरा अंकन किया जाना संभव नही है तथा प्रभावित खसरा नंबर 981/2 के खातेदार को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18/9/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.09.19 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested